PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Bhaskar, Faridabad
Wednesday 28th January 2015, Page: 7
Width: 6.15 cms, Height: 8.74 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-28.43.70

नशीली दवा एमडी पर रोक के लिए केंद्र ने क्या कदम उठाए : हाईकोर्ट

मुंबई | नशीली दवा मेफेड्रोन यानी एमडी (चर्चित नाम म्याउं-म्याउं) पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार ने कौन से कदम उठाए है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को दवा पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल करते हुए नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) महानिदेशालय, केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह की खंडपीठ ने यह निर्देश डॉक्टर युसुफ मर्चेंट की ओर से मेफेड्रोन को प्रतिबंधित दवाओं की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में दावा किया गया है कि यह नशीली दवा 16 से 26 वर्ष आयु वर्ग को बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। नशा मुक्ति को लेकर क्लिनिक चलानेवाले डॉक्टर मर्चेंट ने कहा कि इस दवा के शिकार होनेवाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह दवा लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से घातक है।